संख्या-3415/चौवालिस-1/85

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/
प्रबन्ध निदेशकगण।

लखनऊ दिनांक 27 जनवरी, 1986

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचना) नियम-1959 तथा सम्बन्धित नियमावली, 1960 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महादेय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-675/चौवालिस-1-1984, दिनांक 22 मार्च, 1984 एवं शासनादेश संख्या-2679/चौवालिस-1/1984, दिनांक 5 दिसम्बर, 1984 (प्रतिलिपि संलग्न) को कृपया सन्दर्भित करें जिनके द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर आने वाली अधीनस्थ मिनिस्ट्रीरियल तथा निम्नवर्गीय सेवाओं एवं पदों पर चुनाव सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से ही किया जाय तथा सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर तभी विचार जाय जबकि सेवायोजन कार्यालय से "नान एवेलेबिलिटी" प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाय। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित नियोजितों का प्रथम वेतन आहरण करते समय इस बात का प्रमाणन किया जाय कि उसकी नियुक्ति सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से की गई थी और यदि भर्ती सीधी की गई थी तो ऐसा सेवायोजन कार्यालय से "नान एवेलेबिलिटी" प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त किया गया था।

2- शासन की जानकारी में यह बात लाई गई है कि कतिपय निगमों/उपक्रमों द्वारा उपर्युक्त आदेशों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह एक अत्यन्त गम्भीर व चिन्ता का विषय है, अतः इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये शासनादेशों का कठोरता से अनुपालन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार की जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह,
सचिव।

संख्या- 3415(1)/चौवालिस-1/85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिवों/विशेष सचिवों को शा0सं0-675/चौ0-1/84, दिनांक 22-3-84 एवं शा0सं0-2679/चौ0-1/1984, दिनांक 5-12-84 की प्रतिलिपि सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त आदेशों का कठोरता से अनुपालन किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(2) निदेशक, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) श्रम अनुभाग-6
(4) कार्मिक अनुभाग-2
(5) निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित सचिवालय के समस्त प्रशासनिक अनुभाग।
(6) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) प्रादेशिक सेवायोजन अधिकारी, प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय, जी0टी0 रोड, कानपुर।

आज्ञा से,
आर0 के0 सिंह,
विशेष सचिव।